संख्या-103/2021/1538/24-1-21-2796(बजट)/2018

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 8 अक्टूबर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं विद्युत वितरण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु पीएफसी से लिए गये ऋण का पुनर्भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1378/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2021-22/407, दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 4801-05-190-09-30- में प्राविधानित धनराशि रूपये 729,16,65,000/- (रूपये सात सौ उनतीस करोड़ सोलह लाख पैंसठ हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 520,83,31,000/- (रूपये पॉच सौ बीस करोड़ तिरासी लाख इकत्तीस हजार मात्र) में से पी0एफ0सी0, नई दिल्ली को दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 को किये जाने वाले ऋण का पुनर्भुगतान हेतु धनराशि रूपये 104,16,67,000/- (रूपये एक सौ चार करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://sirsanadesh.upnic.in

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-09-विद्युत वितरण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु पी0एफ0सी0 से लिए गये ऋण का पुनर्भुगतान हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को अंशपूंजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - 1431 /दस - 2021 2022, दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या- 103 /2021/1538(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in